

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला-भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :- महीपाल सिंह आर0ए0एस0

दमा संख्या :- 66 / 2022 प्रखण्ड

1. नैजाम उर राणा सुपर सिं मेवासा - करेडा

प्रार्थी.....

बनाम

1. राजेश्वर जी सि वल्लभ शेर

विपक्षीगण.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: आदेश ::

दिनांक 12/10/2023

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि म कोडा पटवार हल्का कोडा तहसील करेडा में उसके खाते/संयुक्त खातों की खाता संख्या 1518 आराजी नम्बर.....

8954/1326
0.2529

कुलकिता 1 रकबा 0.2529 हैक्टेयर भूमि स्थित है। दग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता ता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/ संयुक्त खातों की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 12/10/2023 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह त सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी होने का अदेशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित ये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम कोडा पटवार हल्का कोडा तहसील करेडा में स्थित खाता संख्या 1518 आराजी नम्बर.....

8954/1326
0.2529

कुलकिता 1 रकबा 0.2529 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ मा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक कोडा को 400/- पये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा ने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर थरगढी की जावे। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नही की जावे।

तिलग्न:- प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

उपखण्ड उपविभागीय अधिकारी पदेन
उपखण्ड अधिकारी
सहायक जिला भीलवाडा करेडा

तिलिपी :- तहसीलदार करेडा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार तिलिपी तैयार कर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

पत्थरगढी की

उपखण्ड उपविभागीय अधिकारी पदेन
उपखण्ड अधिकारी
सहायक जिला भीलवाडा करेडा